



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2012 जिला-गुना

R. 2969-PB/12

श्री. रामभरोसा पुत्र कल्याण सिंह
 द्वारा आज दि. 6/9/12 को
 प्रस्तुत

क
 क्लर्क ऑफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामभरोसा पुत्र कल्याण सिंह नामदेव,
 निवासी- ग्राम धमनार तहसील वृत्त म्याना,
 जिला-गुना (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,
 जिला-गुना

..... अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त म्याना द्वारा प्रकरण क्रमांक 3792/बी-121/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06.10.2010 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

- 1- यहकि, नायब तहसीलदार गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 209/अ-19/88-89 में पारित आदेश दिनांक 30.12.1989 द्वारा आवेदक के हित में भूमि स्वामी अधिकारों का पट्टा प्रदान किया गया था।
- 2- यहकि, आवेदक के साथ अन्य कई लोगों को भूमि स्वामी अधिकार नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.1989 से दिये गये थे जिनका राजस्व अभिलेखों में अमल तत्समय ही कर दिया गया था, किन्तु आवेदक का जारी पट्टे का अमल राजस्व अभिलेखों में आज दिनांक तक नहीं किया गया।

- 3- यहकि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त म्याना के समक्ष एक आवेदन-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रकरण क्रमांक

9
Dehatawal
6/9/12

श्री. रामभरोसा पुत्र कल्याण सिंह
 द्वारा आज दि. 6/9/12 को
 प्रस्तुत


3

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-2969-पीबीआर /2012

जिला-गुना

रामभरोसे विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों को हस्ताक्षर
02-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त म्याना, जिला-गुना के प्रकरण क्रमांक 3792/बी-121/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 06-10-2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-06-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">(आर0के0 जैन) सदस्य</p>	